ग्राम पंचायत दसेरन, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का
लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016
भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थानों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपने जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत दसेरन, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन का अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	8 (i)	1.89
2	दिनांक 31.3.2016 को प्राप्त अनुदानों का व्यय हेतु शेष	8 (ii)	32.63
3	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	11	0.09
4	जे0सी0बी0 चार्जिस के रूप में अनियमित भुगतान	13	2.23
5	लाभार्थियों को आबंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	17 (iii)	2.63
6	क्रय की गई निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न दर्शाना	21 (ii)	2.93

2 परिशिष्ट "ग" के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधान	अवधि	पंचायत सचिव	अवधि
श्री भूप सिंह	01.04.2013 से 22.01.2016	श्री रमेश कुमार	1.4.2013 से 31.3.2016
श्री राम स्वरूप	23.1.2016 से लगातार		

भाग–दो

3 ग्राम पंचायत दसेरन के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये हैं, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा विकास खण्ड कार्यालय, कुनिहार में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 03/14, 10/14 व 10/15 तथा व्यय हेतु माह 03/14, 01/15 व 11/15 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

4 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत दसेरन के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 98 दिनांक 24.3.2017 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

5 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत दसेरन के स्वः स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04. 2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	1370342	1570376	2940718	883751	2056967
2014–15	2056967	1757830	3814797	1533780	2281017
2015–16	2281017	3927397	6208414	2113149	4095265

दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	4095265
दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न बैंक खातों का तथा हस्तगत शेष (4195847 (विभिन्न बैंकस में)+179 (हस्तगत रोकड़)	4196026
दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर	100761

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.03.2016 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹100761 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) वाटर शेडः–

ग्राम पंचायत दसेरन के वाटर शेड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	शून्य	201000	201000	0.00	201000.00
2014–15	201000.00	42091	243091	233319.72	9771.28
2015–16	9771.28	192818	202589.28	196280.00	6309.28

दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष	6309.28
दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न बैंक खातों/वही खातों के अनुसार शेष	31261.28
दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर	24952

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.3.16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹24952 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत दसेरन के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	68920	323307	392227	323307	68920
2014–15	68920	279650	348570	279650	68920
2015–16	68920	129870	198790	129870	68920
दिनांक 31.03.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					68920
दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न बैंक खातों/बही खातों के अनुसार शेष					शून्य
दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर					68920

नोटः– कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अन्तर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31.3.16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों में ₹68920 के अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए आरम्भिक शेषों बारेः–

(i) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 1.4.2013 को जो आरम्भिक शेष उठाए गए थे यह आरम्भिक शेष Trial Balance वर्ष 2012–13 **(परिशिष्ट "क")** में दर्शाए गए दिनांक 31.3.2013 को दर्शाए गए अन्तिम शेषों के आधार पर उठाए गए थे। परन्तु सम्बन्धित खाता बही में इन शेषों की प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने के कारण विभिन्न बैंकों के आरम्भिक शेष बही खाता में दर्शाए गये शेषों के अनुसार है तथा सही है इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये ताकि 1.4.2013 को दर्शाए गए आरम्भिक शेष अभिलेखानुसार है इस तथ्य की पुष्टि की जा सके।

7 **बैंक्स तथा डारघर खातों में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारेः—**

परिशिष्ट "क" द्वारा विभिन्न बैंक/डाकघर खातों में जमा राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी परन्तु बार–2 आग्रह करने के पश्चात भी बैंकस/डाक घर में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंकों तथा डाक घरों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त उपरोक्त परिशिष्ट की क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 तथा 9 में दर्शाए गए बैंक्स/डाकघर से सम्बन्धित पास बुक्स भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित बैंकों/डाकघरों से दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए ताकि जमा राशि के सही होने बारे पुष्टि की जा सकें।

8 **विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में पाई गई अनियमितताओं बारेः—**

अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत शेषों, प्राप्तियों तथा भुगतानों बारे उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अनुसार पंचायत द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में तैयार की गई वार्षिक आय व्यय विवरणी (RD) तुलन पत्र के आधार पर बनाई गई थी। उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः—

(i) प्राप्त अनुदानों से ₹1.89 लाख का अधिक व्यय करनाः—

परिशिष्ट "ख" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अनुदानों का शेष दिनांक 31.3.2016 को ₹189016 ऋणात्मक दर्शाया गया था जिसके बारे में चर्चा के दौरान सन्तोषप्रद उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। अतः अनुदानों की राशि को ऋणात्मक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

अनुदान का शीर्ष	दिनांक 31.3.2016 को शेष
मानदेय प0 पदाधिकारी	4288
वेतन सि0 अध्यापिका	3300
वेतन प0 चौकीदार	21514

VMJS	29780
ICD	10991
वर्दी चौकीदार	840
राजिव गाँधी प0सं0	118193
5%DCP	110
कुल योग	**189016**

(ii) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹32.63 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **परिशिष्ट "ख"** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2016 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹3263491 शेष दर्शाई गई थी जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2016 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) विभिन्न अनुदानों के दर्शाए गए वार्षिक आय व्यय मे अन्तर होने बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "क" तथा परिशिष्ट "ख"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अनुदानों के वार्षिक आय व्यय में निम्नानुसार अन्तर था जबकि दोनों जानकारियों में वार्षिक आय/व्यय की राशियाँ एक समान होनी चाहिए थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अन्तर के कारण चिन्हित करके तथा अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

वित्त वर्ष	**परिशिष्ट "क" के अनुसार वार्षिक आय व्यय**		**परिशिष्ट "ख" के अनुसार वार्षिक आयु व्यय**	
	आय	**व्यय**	**आय**	**व्यय**
2013–14	1482017	864047	1482017	858892
2015–15	1558132	1510311	1558132	1509003
2015–16	3676313	2099159	3712513	1946798

(iv) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः—

अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित अनुदान रजिस्टर/Updated खाता बही प्रस्तुत न किये जाने के कारण तुलन पत्रों तथा अनुदानों से सम्बन्धित जानकारी में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक तथा अन्तिम शेषों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। **परिशिष्ट "क"** में दर्शाए गए विभिन्न अनुदानों के आरम्भिक शेष ग्राम पंचायत दिनांक 31.3. 2013 से सम्बन्धित तुलन पत्र में दर्शाए गए शेषों के अनुसार है। उपरोक्त अभिलेख न दर्शाए जाने के कारण **परिशिष्ट "क"** में सभी अनुदानों के शेषों बारे जानकारी न उपलब्ध करवाई गई हो इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 सावधि निवेशः—

परिशिष्ट "ग" द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा योजना में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। लेकिन यह प्रतीत होता है कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

10 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

(i) रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 1 से 50 में वर्णित आय के स्त्रोत माने जायेगें और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता "क" के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में वर्णित प्राप्त सहायता

अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियाँ और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता ख जाना जाएगा, परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक पंचायत द्वारा अपनी आय के स्त्रोतों की रोकड़ बही में कुछ अनुदानों की आय को भी सम्मिलित किया गया था व शेष अनुदानों हेतु दो रोकड़ बहियाँ अलग से लगाई गई थी, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता –क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई मासों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियाँ का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कटिंग्स की गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

11 आयः–

(i) ₹0.09 लाख के गृहकर की वसूली न करनाः–

(क) ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹8635 के (32505 (2167)656+714+797)X15.23870 (23085+720+65) गृहकर की वसूली नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹8635 की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में गृहकर की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा गृह कर (₹15 प्रति वर्ष) के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बाद भी यह अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) अंकेक्षण के दौरान गृहकर मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है या तो इस अभिलेख का

रख रखाव ही नहीं किया जा रहा था या इसे Update नहीं किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर पूर्ण करके प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) मोबाईल टावर से सम्बन्धित आय की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को वर्ष 2013–14 में मोबाईल टावर से ₹4000 की आय हुई थी परन्तु वर्ष 2014–15 तथा 2015–16 में कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी। मोबाईल टावर के किराए निर्धारण से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित बकाया किराए की वसूली करके उपरोक्त अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

(iii) ₹1500 दुकानों के किराए की कम वसूली बारेः–

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹1500 (63750 (17 माह x 5 दुकानें x 750 मासिक किराया)–62250 (15000+47250) प्राप्त किराया) दुकानों के किराए की वसूली नहीं की गई थी। अतः इस बारे आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में किराए की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा 5 दुकानें किराए पर दी गई थी तथा प्रत्येक दुकान का किराया ₹750 मासिक था, परन्तु कई बार आग्रह करने के पश्चात भी दुकानों के किराए के निर्धारण से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 बकाया किराए की वसूली करके उपरोक्त वाँछित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर दिखाया जाए।

(iv) रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। रसीद बुक रजिस्टर के स्तम्भों को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था तथा रजिस्टर में रसीद बुकों के शेषों से सम्बन्धित स्थिति भी नहीं दर्शाई जा रही थी। अतः

उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) अनुदानो की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्यालय आदेशों/दस्तावेजों का रख रखाव करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते हैं निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होगें जिन में जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख कर रख रखाव ग्राम पंचायत में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

व्ययः–

12 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ इत्यादि प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने पर भी निमनलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएँ इत्यादि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण क्रय करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिये गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि क्रय करमे समय नियम 67 में दिए गए निर्देशों का पालन ही न किया गया हो। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 से सम्बन्धित दस्तावेज निविदाएं इत्यादि आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाए और यदि निम्नलिखित क्रय हेतु उपरोक्त नियम में वर्णित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था तो इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवा के कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
मनरेगा	03/14	30	4200	रेत
सामान्य (स्वःस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/14	122	12000	रेत
		123	4000	सामग्री का ढुलान
	01/15	30	15200	रेत
			23118	बजरी
			21010	रेत तथा बजरी
		31	13300	रेत, बजरी, पत्थर ढुलान आदि
			11670	वाटर फिटिंग्स मेटीरियल
	11/15	79	27500	रेत तथा बजरी
			20000	रेत

13 जेसीबी चार्जिस के रूप में ₹2.23 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जे0सी0बी0 के इस्तेमाल के एवज में निम्नानुसार ₹223200 का भुगतान निम्नलिखित ठेकेदारों को किया गया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये निविदाएँ आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। परन्तु जे0सी0बी0 किराए पर लिए जाने के सन्दर्भ में जो निविदा दर्शाई गई थी वे सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि निविदा पर न तो क्रय समिति के हस्ताक्षर थे तथा न ही प्राप्त करने की तिथि, उनके खोले जाने की तिथि बारे कोई विवरण दर्ज था। यह भी प्रतीत होता है कि यह निविदाए सीलबंद भी नहीं थी जिस कारण निविदा संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। साथ ही कुल भुगतान ₹50000 से अधिक होने के कारण नियम 67 (5) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टेंडर आमन्त्रित किया जाने अनिवार्य थे नाकि निविदाएँ जोकि नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जेसीबी से करवाए गए निम्नलिखित कार्यों की सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्थिति में जेसीबी चार्जिज का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन्हें सक्षम

प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में निम्नलिखित निर्माण कार्यों की प्रविष्टियाँ तथा इन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृतियाँ भी दर्शाई जाए। भविष्य में कार्य करवाते समय सम्बन्धित नियमों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**ठेकेदार का नाम**
सामान्य (स्वःस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	01/15	32	49000	श्री भूपिन्दर राठौर
			2600	श्री भूपिन्दर राठौर
			35600	श्री भूपिन्दर राठौर
			32000	श्री रामजी वर्मा
	11/15	82	104000	श्री जोगिन्दर कुमार
		कुल योग	**223200**	

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त ठेकेदारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियाँ भी नहीं की गई थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थीः–

(i) आयकर 2%

(ii) सेल्स टैक्स 3%

(iii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सैस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए। भविष्य में नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतियाँ करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 ₹1.44 लाख की निर्माण सामग्री के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत ने निम्नानुसार विभिन्न निर्माण सामग्रियों का क्रय किया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशनस/निविदाएँ आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। परन्तु निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय हेतु जो निविदाएँ दर्शाई गई थी वे सही प्रतीत नहीं होती है क्योंकि कुछ निविदाओं पर न तो

क्रय समिति के हस्ताक्षर थे तथा न ही प्राप्त करने की तिथि, उनके खोले जाने की तिथि बारे कोई विवरण दर्ज था। इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीत होता है कि यह निविदाएँ सीलबंद भी नहीं थी जिस कारण निविदाएँ संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्रय संख्या 1 तथा 2 में दर्शाई गई सामग्रियों के क्रय हेतु कुल भुगतान ₹50000 से अधिक होने के कारण नियम 67 (5) के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टेंडर आमन्त्रित किये जाने अनिवार्य थे नाकि निविदाएँ जोकि नहीं किया गया। यह प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये। भविष्य में क्रय करते समय सम्बन्धित नियमों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रोकड़ बही**	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**क्रय की गई सामग्री**	**फर्म जिससे क्रय किया गया**	**जिन फर्मों से निविदाएँ प्राप्त की गई थी**
1	सामान्य (स्वःस्त्रोत तथा विविभन्न अनुदान)	09/15	31	56310	स्टील	उमा दत्त एंड संस, दाडलाघाट	उमा दत्त एंड संस, दाडला घाट तथा शुक्ला आयरन एंड हार्डवेयर दाडलाघाट
2	–यथोपरि–	11/15	80	64664 (24000+40664)	वाटर फिटिंग्स	चंदेल हार्ड वेयर स्टोर, धुंधन	चन्देल हार्ड वेयर स्टोर धुंधन मदन हार्ड वेयर स्टोर पिपलु घाट, ठाकुर स्टील सेल्स, नमहोल
3	–यथोपरि–	11/15	80	23400	रेत तथा बजरी	पी0के0 ट्रांसपोर्ट भराड़ी घाट	पी0के0 ट्रांसपोर्ट भराड़ी घाट, राजेश कुमार, डीनण अर्की तथा कुलदीप सिंह दसेरन अर्की
		कुल योग		**144374**			

G.P. Daseran

15 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय के एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। लेकिन यह प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा इन निर्देशों का अनुसरण कढ़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय की गई सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अलावा कुछ मस्टररोल्स में सभी तथा कुछ में एक या दो श्रमिकों के हस्ताक्षर भी नहीं पाए गए। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्वः स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/14	122	12000	रेत
		30	15200	रेत
			23118	बजरी
			21010	रेत तथा बजरी
			598	रेत
			11670	वाटर फिटिंग्स मेटीरियल
			56310	स्टील
		79	27500	रेत तथा बजरी
			20000	रेत
		30	4200	रेत
			6762	मस्टर रोल संख्या 3013
		31	13248	मस्टर रोल सं0 3142
			3312	3143
			11592	3271
		32	9660	3632
			2760	3637
		33	2100	3139
	01/15	42	26223	BDOकुनिहार के खाते में जमा

16 मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

(i) अंकेक्षण के दौरान बार–2 आग्रह करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 102 (4) के अन्तर्गत प्रावधित मस्टर रोल जारी (issue) रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि या तो इस रजिस्टर का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है या इसे नियमित रूप से पूर्ण नहीं किया गया था। इस कारण चयनित मासों में मनरेगा के अन्तर्गत जिन मस्टर रोल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु भुगतान किया गया था उन मस्टर रोल्स की संख्या, जिन निर्माण कार्य हेतु वे जारी किये गये थे, उनकी अवधियों तथा क्रमवार प्रयोग होने सम्बन्धी तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु मस्टर रोल्स से सम्बन्धित movement slip को पूर्ण रूप सें नहीं भरा जा रहा था तथा कई प्रकरणों में village monitoring committee (vmc) द्वारा भी मस्टर रोल्स पर करवाए गए निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया जा रहा था। कई मस्टर रोल्स पर अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण नहीं भरा गया था। उपरोक्त अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**मस्टर रोल सं0/राशि**	**टिप्पणी**
सामान्य (स्वः स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	01/15	31	4875/12975	मस्टर रोल village monitoring committee (VMC) द्वारा निर्माण कार्य सही पूर्ण होने सम्बन्धी सत्यापन नहीं किया गया था
		33	4882/30600	–यथोपरि–
मनरेगा	03/14	30	3013/6762	यथोपरि तथा मस्टर रोल से सम्बन्धी movement slip में पूर्ण विवरण नहीं पाया गया था।
		31	3139/13248	–यथोपरि–
		32	3634/17388	–यथोपरि–
		33	3139/2100	मस्टरोल पर जारीकर्ता सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे।

17 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(i) क्रय की गई निर्माण सामग्रियों का विभिन्न निर्माण कार्यों पर हुई की खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया सत्यापन/आकलन (verification/assessment) न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई निम्नलिखित निर्माण सामग्रियों की सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर हुई खपत सम्बन्धी अभिलेख जोकि सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो नहीं दर्शाया गया। जिस कारण इन निर्माण सामग्रियों का इन कार्यों के कार्यान्वन हेतु उचित एवं पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर उपरोक्त अभिलेख दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0स0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
मनरेगा	03/14	30	4200	रेत
सामान्य (स्वः स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/14	122	12000	रेत
		125	69875	सीमेन्ट की खपत नहीं दर्शाई गई
	01/15	30	15200	रेत
			23118	बजरी
			21010	रेत तथा बजरी
			598	रेत
		31	13380	रेत, बजरी, पत्थर, ढुलान आदि
			11670	वाटर फिटिंग्स मेटीरियल
			56310	स्टील
		33 तथा 34	45160	सीमेन्ट की खपत नहीं दर्शाई गई
	11/15	79	27500	रेत तथा बजरी
			20000	रेत
		80	24000	वाटर पाईप फिटिंग्स
			40664	–यथोपरि–
			23400	रेत तथा बजरी

(ii) मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर न पाए जाने बारेः–

निर्माण कार्यों सम्बन्धी भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा इन कार्यों का आंकलन (Assessment) किया जाता है तथा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाता है। परन्तु व्यय की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित कुछ मस्टर रोल्स पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए तथा कुछ मस्टर रोल्स के आकलन (assessment) दर्शाए ही नहीं गए। सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के आकलन के बिना इन निर्माण कार्यों हेतु किये गये भुगतानों को सही नहीं माना जा सकता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	मस्टर रोल संख्या	टिप्पणी
मनरेगा	03/14	32	12282	3636	मस्टर रोल पर सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे
			2760	3637	–यथोपरि–
स्वःस्त्रोत तथा अनुदान (सामान्य)	03/14	123	13950	4864	सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा निर्माण कार्य का किया गया आकलन (assessment) नहीं दर्शाया गया।
	01/15	30	27498	4850	–यथोपरि–
		31	12975	4875	–यथोपरि–
	11/15	79	29140	608	–यथोपरि–
		80	9440	610	–यथोपरि–
		82	29900	611	–यथोपरि–

(iii) ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹2.63 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को आवास योजना (IAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण आदि हेतु ₹262500 जारी की गई थी परन्तु कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन अनियमितता बारे स्पष्टीकरण देने के साथ–2 इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि (₹)
स्वस्त्रोत तथा अनुदान (सामान्य)	03/14	121	30000
			30000
			30000
			30000
			30000
	11/15	81	37500
			37500
			37500
		कुल योग	**262500**

(iv) निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारेः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने पर भी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में किये गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आंकलन (estimate) उनकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई। साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाए।

18 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारेः–

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका, की मेन आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

19 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण निम्नलिखित भुगतानों की सही रूप से पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	राशि	विवरण
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	11/15	30000	रसीद संख्या 93152 दिनांक 07.11.15 द्वारा H.P. SC/ST Development Corporation को ऋण का भुगतान दर्शाया गया था। परन्तु ली गई ऋण की राशि, ऋण की बकाया राशि, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आदि से सम्बन्धित अभिलेख नहीं दर्शाये गये
	01/15	3500	भुगतान सम्बन्धी वाउचर

20 पंचायत सचिव को किये गये ₹6713 के यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के भुगतान सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

माह 03/14 में (रोकड़ बही सामान्य पृष्ठ संख्या 123 तथा 124) पंचायत सचिव को ₹6713 (6128+585) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया था। परन्तु यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति नहीं दर्शाई गई। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

21 स्टोर/स्टॉकः–

(i) ग्राम पंचायत के भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) बारेः–

लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भण्डार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भण्डार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भण्डार का भौतिक सत्यापन किया ही नहीं जा रहा है जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में भण्डार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹2.93 लाख की क्रय निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न दर्शानाः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई मदों की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में नहीं दर्शाई गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हि0प्र0 पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई मद/ली गई सेवा का विवरण
मनरेगा	03/14	30	4200	रेत
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/14	122	12000	रेत
	01/15	30	15200	रेत
			23118	बजरी
			21010	रेत तथा बजरी
			598	रेत
		31	13380	रेत, बजरी, पत्थर, ढुलान आदि
			11670	वाटर फिटिंग मेटीरियल
			56310	स्टील
	11/15	79	27500	रेत तथा बजरी

	20000	रेत
80	24000	वाटर पाईप फिटिंग्स
	40664	यथोपरि
	23400	रेत तथा बजरी
कुल	**293050**	

22 **विविधः—**

(i) बिल पारित करने सम्बन्धित निर्देशों का पालन न करनाः—

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों पर सत्यापन केवल प्रधान द्वारा ही किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) स्वः स्त्रोत की प्राप्ति आय से सीधा व्यय करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा कभी—2 स्व स्त्रोत से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्य हेतु व्यय किया जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बन्धित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बन्धित खाते में ही भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अतः उक्त पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व भविष्य में उक्त नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(iii) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2013—14 तथा 2014—15 से सम्बन्धित बजट आकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर

पारित नहीं करवाया गया था जोकि अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ग")** से स्पष्ट हो जाता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

(iv) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य मे नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टरों का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) बिलों का भुगतान नियमित रूप से न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा टेलीफोन बिलों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया गया था। कुछ बिलों में पिछले बिलों की बकाया राशियों भी सम्मिलित थी। इन बकाया राशियों में विलम्ब शुल्क के शामिल होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। विभिन्न बिलों का भुगतान निर्धारित तिथि के भीतर किया जाना चाहिए ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान से बचा जा सके। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बिलों का भुगतान नियमित रूप से निर्धारित तिथि के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) बैंक द्वारा collection charges की कटौती किये जाने बारेः–

कुछ प्रकरणों में पाया गया कि सम्बन्धित बैंक द्वारा चैकस (cheques) से प्राप्त विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों को ग्राम पंचायत के खाते में collection charges काट कर जमा किया जा रहा था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि इस प्रकार के प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाये जाए ताकि इस बारे आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किये जा सके।

23 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अलग से जारी नहीं की गई है।

24 **निष्कर्षः–** खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(v) 17/2017–खण्ड–1–5485–5488 दिनाँक,5.09.17
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत दसेरन, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881